

सुपम के अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत

नाम - सुभाष साहू

पता - डी.के. 2/54, इन्दिरा कुंज, कोलार रोड, सोपाल

फोन नं - 2448235 / मो. नं. 9827283680

आवेदन की वारीस - 27/8/12

कार्यलय का नाम - भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवीकाग

बेरसिया रोड, सोपाल 562039

यदि यह जानकारी - 1) वर्ष 1998 से 2001 तक कितने-2
कर्मचारियों/अधिकारियों को इस किलेब्रिग लोन दिया गया था?
2) क्या लोन देते समय इस काम को कोई शपथ-पत्र लिया
गया था की कोई कर्मचारी या अधिकारी इसके या उसके परिवार
के पाल है?

3) यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र में गलत
जानकारी दी गई हो तो उसे जो विभाग की जानकारी के डाने
पल क्या कार्यवाही की जाती है?

4) क्या कोई अनुशासक कार्यवाही की जाती है या वास्तविक
इससे बचाव से बचाव लाना के लए मुस्त या किरदी में
रिक्वरी की जाती है?

5) किरदी किरदी राशि किस ब्यक्ति ब्याज-इल से
किरदी मानिक किरदी में लोन अफिश किया गया था?
हृपम उभवाल जानकारी देता

Sl/No

संलग्न है।

प्रति

लोक सुचना अधिकारी
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवीकाग
बेरसिया रोड, सोपाल

21/9
सुभाष साहू
डी.के. 2/54, इन्दिरा कुंज
कोलार रोड, सोपाल

API 0 for nka M.
Alankar
21/9/12



भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा.कृ.अनु.प.)

नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel. No.(0755)2747375/2730946 Fax. No. (0755) 2733310

मि.सं. IISS/RTI/2012

दिनांक 12/09/2012

सेवा में,

49-9/2012/RTI/IISS

श्री सुभाष यादव
डी.के. 2/541, दानिश कुंज
कोलार रोड, भोपाल

संदर्भ:-आपके पत्र क्र. निरंक दिनांक 29/08/2012

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने
बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी माँगी गई है, उसका क्रमवार विवरण निम्नलिखित है

1. वर्ष 1998 से 2001 तक निम्न अधिकारियों को हाउस बिल्डिंग लोन दिया गया था- श्री अनुराग (29/03/1999), डॉ. डी.के. पेनुली (29/03/1999), डॉ. संजय श्रीवास्तव (18/10/2001), डॉ. जे.के. साहा (30/03/2000), डॉ. अजय (30/03/2000), डॉ. आर.एस. चौधरी (06/09/2001), डॉ. एम. सी. मन्ना (05/03/2000), श्री जय सिंह (29/03/2001), डॉ. पी.के. सिंह (26/02/2001), डॉ. ए.के. मिश्रा (31/03/2001), डॉ. के. रमेश (28/03/2000), डॉ. मुनेश्वर सिंह (17/05/2000), डॉ. डी.एल.एन. राव (15/03/2000), डॉ. ए. सुब्बा राव (05/09/2000), श्री हरीष कुमार (29/03/1999), श्रामति बबीता तिवारी (01/03/2001), श्री हीरालाल (29/03/1999), श्री जिनेश्वर (09/03/2001), श्री ए.के. सिंह (24/03/2000), श्री सी.टी. वानखेडे (07/03/2001), श्री आर.के. मंडलोई (29/03/1999), श्री पी.के. चौहान (01/03/2001)

कृ.पृ.उ.

2. सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा उनके या उनके परिवार के पास यदि कोई अन्य भवन या भूखण्ड है की जानकारी फार्म एस-252 में ली गई थी

3 एवं 4. यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाती है।


5. नियमानुसार अधिकतम 180 मासिक किश्तों में लोन आवंटित किया जाता है तथा 100000 से 150000 तक के लोन पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर से, 150001 से 500000 तक 11 प्रतिशत की ब्याज दर से तथा 500001 से 750000 तक के लोन पर 12 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन आवंटित किया गया था।

धन्यवाद

भवदीय,

9/c


19/9


(आर. इलान्चेजियान)
लोक सूचना अधिकारी

Note: Name and Address of Appellate Director Authority

Director

1155, Nishi Bazar, Barani Road Bhopal.

Ph:

Fax: